प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1512-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-5-14 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा प्र0क्र0 431/अपील/13-14.

सुरेश सिंह तनय श्री उर्मिला सिंह
निवासी ग्राम भोलगढ़ तहसील
हुजूर जिला रीवा म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- उर्मिला सिंह तनय स्व0 मटुकधारी सिंह
निवासी ग्राम डिहिया तहसील हुजूर
जिला रीवा अन्य-5 --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1512/।।।/14 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.5.14	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 431/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 3-5-14 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ आवेदक के अभिभाषक एंव केबिएटकर्ता अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि महिला सुमित्रा सिंह अनावेदक कमांक 6 मणिराज सिंह की पुत्री है जिसके पति एंव पुत्र अभिभाषक हैं । स्वर्गीय मणिराज सिंह ने ग्राम खम्हरिया स्थित उनके स्वामित्व की भूमि के बटवारा एंव नामान्तरण वावत् चर्चा की एंव अनावेदक कमांक 6 के पति ने उन्हें दिलाशा देते हुये कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा दिनांक 9-1-13 को भूमि सर्वे कमांक 137 रकबा 0.875 हैक्टर पर अनावेदक कमांक 6 का बटवारा कराकर खसरे में नामांत्रण करवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष स्वर्गीय मणिराज सिंह ने अपील की एंव अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 5-3-14 से प्रकरण उपलब्ध न होना व्यक्त कर व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 22 नियम 3 का आवेदन दिया गया किन्तु रीडर ने आदेश न मिलना बताया एंव शोध कर दिनांक 3-6-13 को आदेश मिलना व्यक्त किया। इसके विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा।	

अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर के आदेश दिनांक 3–6–13 के विरूद्व पक्षकार मानकर अपील करने की अनुमति न देने में अपर आयुक्त रीवा व्दारा किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है, यदि बसीयत के आधार पर वादोक्त भूमि में वह अपना स्वत्व चाहता है, स्वत्व के विवाद का निराकरण करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 431/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 3–5–14 विधिवत् होना पाया गया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य